

कार्यालय- विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण  
अधिनियम 2012 एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग, 2005 बालोतरा।


क्रमांक:- 25

दिनांक:- 14-12-2020

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की अधिसूचना क्रमांक 13/ई0वी0/2019 दिनांक 17-10-2019 के अनुसार दिनांक 25-12-2020 से 31-12-2020 तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक 06/विविध/2020 दिनांक 24-11-2020 की पालना में विशिष्ट न्यायालयों को शीतकालीन अवकाश की अवधि में कम से कम दो बार न्यायालयों में आवश्यक कार्य हेतु बैठने के आदेश दिये गये हैं।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के उक्त आदेश क्रमांक 06/विविध/2020 दिनांक 24-11-2020 की पालना में दिनांक 30-12-2020 व 31-12-2020 को यह न्यायालय आवश्यक कार्य हेतु खुला रहेगा। कार्यालय के सभी कर्मचारीगण सूचित हों तथा अपनी-अपनी उपस्थिति न्यायालय में सुनिश्चित करें।




विशिष्ट न्यायाधीश  
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012  
एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग, 2005  
बालोतरा।

क्रमांक- 100

दिनांक- 14-12-2020

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

- 1- श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
  - 2- श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा।
  - 3- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर।
  - 4- जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर को प्रेषित कर लेख है कि जिले के सभी आरक्षी केन्द्रों को इस आदेश से अवगत करावें।
  - 5- अध्यक्ष अभिभाषक संघ, बालोतरा।
  - 6- सूचना पट्ट जिला न्यायालय, बालोतरा/न्यायालय हाजा।
- ✓- सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, बालोतरा को प्रेषित कर निर्देश है कि उक्त आदेश की प्रति जिला एवं सेशन न्यायालय, बालोतरा की वेबसाईट पर अपलोड करें।

  
विशिष्ट न्यायाधीश

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012  
एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग, 2005  
बालोतरा।

14.12.20